सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिटस के बारे में जनता से सुझाव मांग रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 अप्रैल, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, *हाउसिंग ब्रैम्पटन (Housing Brampton)* के आगे बढ़ाते हुए, एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिटस (ए.आर.यू.) (Additional Residential Units) (ARU) के संबंध में पॉलिसी समीक्षा (Policy Review) पर कम्युनिटी फीडबैक चाहती है। हाउसिंल ब्रैम्पटन, सिटी की वहन करने योग्य घरों संबंधी कार्यनीति है, जो मार्किट में अधिक तेजी से नए घरों की सप्लाई पहुंचाने में मदद करेगी।

प्रांत का बिल 108 मोर होम्स, मोर चॉयसिज एक्ट, 2019 (Bill 108 More Homes, More Choice Act, 2019), ओनटैरियो के मौजूदा ज़मीन-प्रयोग प्लानिंग सिस्टम को परिवर्तित करता है। इस बिल के मुताबिक म्युनिसिपल्टीज को, डिटैच्ड ढांचों में अतिरिक्त रिहायशी यूनिटों की अनुमति देने वाली पॉलिसीज अपनाने की जरूरत है।

ए.आर.यू. (ARU) पर पॉलिसीज विकसित करने का उद्देश्य, ज़ोनिंग रुकावटों को कम करना, अधिक हाउसिंग सप्लाई पैदा करना और शहर के अंदर वहन करने योग्य विकल्पों में वृद्धि करना है।

निवासियों को यहां (here) ऑनलाइन सर्वेक्षण के द्वारा, अपना फीडबैक साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

-30-

मीडिया संपर्क
मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)
कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट
स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca